केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

दिनांक: 11.07.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/140

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00122
CICOM/R/2019/80041

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 11.07.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	25.05.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.06.2019, 26.06.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. असीजा, श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.06.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	200/02.07.2019 (14249/03.07.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.05.2019 के आर.टी.आई. आवेदन जो कि अपीलकर्ता द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को प्रेषित किया गया था, जिसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा दिनांक 14.06.2019 को सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग को अग्रसारित किया गया, जिसके माध्यम से अपीलकर्ता द्वारा 2 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । उक्त आवेदन के प्रतिउत्तर में केन्द्रीय सूचना आयोग के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 25.05.2019 को दो आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया गया एक केन्द्रीय सूचना आयोग को एवं दूसरा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को (जिसे भी केन्द्रीय सूचना आयोग को ही अग्रसारित किया गया) तथा दोनों आर.टी.आई. आवेदनों के माध्यम से बिल्कुल समान सूचनाएं मांगी गई थी । केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में प्रथम अपील का निस्तारण प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/138, संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00120, CICOM/R/2019/00434 द्वारा दिनांक 03.07.2019 को किया जा चुका है । **चूंकि दोनों आर.टी.आई. आवेदनों के माध्यम से बिल्कुल समान सूचनाएं ही मांगी गई है, अतः इस प्रथम अपील आवेदन को आधारहीन मानते हुए निरस्त किया जाता है ।**

3. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
11 JUL 2019
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।